भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title: प्रेस विज्ञप्ति

Reference No.: **Date:** 31/03/2021

अग्नि एवं संबद्ध संकट बीमा व्यवसाय पर मानक उत्पाद

प्रेस विज्ञप्ति
PRESS RELEASE

अग्नि एवं संबद्ध संकट बीमा व्यवसाय पर मानक उत्पाद
Standard products on Fire and Allied perils insurance business

1. प्राधिकरण ने 4 जनवरी, 2021 को, अग्नि एवं संबद्ध संकट संबंधी बीमा व्यापार करने वाले सभी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा 1 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित तीन मानक उत्पाद लॉंच करने की घोषणा की थी।

On 4th January, 2021, the Authority had announced the launch of the following three standard products by all general insurers carrying on the business of Fire and Allied perils insurance business, with effect from 1st April, 2021

(i) भारत गृह रक्षा *(*आवासीय भवनों और घरेलू सामग्री के लिए*)*
Bharat Griha Raksha *(meant for Residential Buildings and Home Contents)*

(ii) भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा *(*उन उद्यमों के लिए जहाँ किसी एक स्थान पर जोखिम का कुल मूल्य रु. ***5*** करोड़ तक है*)*
Bharat Sookshma Udyam Suraksha *(meant for enterprises where the total value at risk at any one location is upto Rs. 5 Crore)*

(iii) भारत लघु उद्यम सुरक्षा *(*उन उद्यमों के लिए जहाँ किसी एक स्थान पर जोखिम का मूल्य ***5***-करोड़ रुपयों से अधिक और ***50***-करोड़ रुपयों तक है।
Bharat Laghu Udyam Suraksha *(meant for enterprises where the total value at risk at any one location is more than Rs. 5 Crore and upto Rs. 50 Crore)*

2. उपरोक्त सभी उत्पाद बीमाकर्ताओं के पास 1 अप्रैल, 2021 से बीमा हेतु नयी पालिसियों के रूप में जारी करने और नवीकरणों दोनों के लिए उपलब्ध हैं।
All the above products are available with the insurers for issuance as both new policies and as renewals with effect from 1st April, 2021.

3. प्रस्तावकों और पालिसीधारकों की जानकारी के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा जारी इन तीनों उत्पादों में से प्रत्येक पर एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर)(यूएनआई) होगा।
For the information of proposers and policyholders, each of the three products issued by the insurers will bear a Unique Identification Number (UIN).